# मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर–दिसम्बर, 2000 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2000 (अग्रहायण 7,1922)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र में स्थित बजाज सुपर पैक फैक्ट्री में तालाबंदी कर श्रमिकों को प्रताड़ित किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी क्षेत्र में डाकुओं का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती जुन चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सकेरा भड़ारन में पशु औषधालय खोले जाने;

(2) श्री देवसिंह सैयाम, सदस्य, मण्डला-बबलिया मार्ग के बीच बालई नदी पर पुल बनाये जाने; तथा

(3) हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत लखापतैरी-घुघटा पहुंच मार्ग पर पुल बनाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 6. वक्तव्य

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्रमांक-1619); तथा

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, दिनांक 1 अगस्त, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्रमांक-3668),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 33 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 34 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 35 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापि.. करेंगे.

(4) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 2000 (क्रमांक 30 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 3 घन्टे

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2000 (क्रमांक 31 सन् 2000) पर विचार किया जाय. — 3 घन्टे

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.